परिचालन संरक्षा चेतावनी सं 03/2024

OPERATING SAFETY ALERT NO. 03/2024

विषय :- दानापुर मंडल के डुमरांव स्टेशन पर Hot Axle (गर्म धुरा) होने के कारण गाडी सं. 22972 को रोका जाना

दिनाक 18.12.2024 को गाडी सं. 22972 पटना से राउंड ट्रिप अनुरक्षण किए जाने के बाद 23:25 बजे प्रस्थान किया। गाड़ी जैसे ही रघुनाथपुर स्टेशन से पास कर रही थी तो ऑल राइट सिग्नल मिलाते समय कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं काँटावाला को जलने की गंध महसूस हुई। स्टेशन मास्टर/ रघुनाथपुर ने टूडीगंज के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। टूडीगंज के काँटावाला ने देखा कि इंजन से तीसरे कोच के पहिए से चिनगारी निकल रही है जिसकी सूचना तुरंत कार्यरत स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर टूडीगंज ने स्टेशन मास्टर/डुमरांव एवं खंड नियंत्रक को गाड़ी रोकने के लिए सूचना दिया। स्टेशन मास्टर/डुमरांव के द्वारा दिनांक 19.12.2024 को 01:08 बजे गाड़ी को रोककर अग्निशामक यंत्र की मदद से आग को बुझाया गया और संबंधित कोच को अलग कर आगे के लिए गाड़ी को 04:10 बजे प्रस्थान किया गया।

स्टेशन मास्टर एवं उनके कर्मचारियों को स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों के वाहन में हॉट एक्सल/ रोलर बेयरिंग का जाम होना/ वस्तुओं का गाड़ी से गिरना/ वाहनों में आग लगना या अन्य असुरक्षित परिस्थितियां दिखाई देता है तो सामान्य एवं सहायक नियम 4.29 का पालन करते हुए निम्न कारवाई करेंगे –

1. लाल सिगनल दिखाकर गाड़ी को रोकने का तत्काल प्रयास करेंगे।
2. यदि संभव है तो गाड़ी को प्रस्थान सिगनल ऑन करके रोकेंगे।
3. **विद्युतीकृत खंड पर दुर्घटना को टालने के लिए सेक्शन में OHE के पावर को स्विच ऑफ करने के लिए TPC एवं खंड नियंत्रक को सूचित करेंगे।**
4. अगले स्टेशन को छः विराम एक (000000-0) का घंटी संकेत देकर प्राईवेट नम्बरों के आदान-प्रदान के साथ गाड़ी रोकने की सूचना देगें एवं खंड नियंत्रक को सूचित करेंगे कि इसे अगले स्टेशन पर रोका जाय।
5. छः विराम एक (000000-0) बेल कोड के प्रावधानों के अंतर्गत वर्णित गाड़ी में गर्म धुरा के उत्पन्न होने पर ऐसी सूचना प्राप्त करने वाला स्टेशन मास्टर जहाँ तक संभव हो गाड़ी को मेन लाइन पर रिसीव करेगा। यदि ऐसा करने में वह असमर्थ हो तो जिस लूप लाइन पर ली जानी हो उस लूप लाइन पर प्रवेश के पूर्व उस गाड़ी को प्रथम रोक सिगनल के बाहर खड़ा करेंगे।
6. जब कोई स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी का कोई वाहन के डिरेल्ड होने या उसके रनिंग गियर के किसी तरह खतरनाक होने की सूचना पाता है तो वह उस गाड़ी को सिग्नल के बाहर खड़ा करेगा क्योंकि ऐसे वाहनों का आगे संचलन, विशेष कर स्टेशन यार्ड में काँटों पर गंभीर दुर्घटना घटित होने का कारण बन सकती है। गाड़ी का स्टेशन यार्ड में प्रवेश की अनुमति देने के पूर्व पूरी तरह जांच की जाएगी।
7. जब तक प्रभावित गाड़ी अगले स्टेशन पर पूरी तरह पहुँच नहीं जाती है तब तक ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर के स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी या गाड़ियों को उस लाईन या सटे लाइन / लाइनों पर सेक्शन में संचलन की अनुमति नहीं देंगे।

सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि थ्रू पास करने वाली गाड़ियों में हॉट एक्सल/रोलर बेयरिंग का जाम होना/वस्तुओं का गाड़ी से गिरना,/ वाहनों में आग लगना या अन्य असुरक्षित परिस्थितियों को रोकने के लिए सामान्य एवं सहायक नियम की विस्तृत चर्चा निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा सभी संबंधित कर्मचारियों के बीच किया जाए जिससे घटना की सही पहचान हो सके और सही सूचना देकर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। **विद्युतीकृत खंड पर,उपर्युक्त परिस्थितियों में गाड़ी को रोकने के लिए OHE के पावर को स्विच ऑफ करने को, प्राथमिकता दे। सभी TPC को निर्देशित किया जाता है कि TPC फ़ोन पर किये गए स्टेशन मास्टर/ कंट्रोल के फ़ोन को अबिलम्ब अटेन्ड कर आवश्यक कार्यवाही करें।**

(डॉ. मनोज सिंह)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबन्धक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
दिनांक 24.12.2024

सं. ईसीआर/परि. संरक्षा/ चेतावनी/73/505

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर- महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा आधिकारी/पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ हेतु।
3. प्रधान मुख्य विद्युत अभियन्ता/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ हेतु।
4. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ हेतु।
5. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक- धनबाद, डी.डी.यू. सोनपुर, समस्तीपुर एवं दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।